श्री महंथ शतानन्द गिरि हरिहर संस्कृत महाविद्यालय बोधगया (गया)

शिक्षकेत्तर कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्देश।

1. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से सम्बद्धता प्राप्त ईकाई महंथ शतानन्द गिरि हरिहर संस्कृत महाविद्यालय बोधगया, गया में शिक्षकेत्तर कर्मी के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतनमान में तृतीय वर्गीय संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक (LDC) के 2 पदों पर एंव चतुर्थ वर्गीय संवर्ग में आदेश पाल एवं रात्री प्रहरि के पद पर सेवा देने हेतु इच्छुक पदानुरूप योग्यताधारी भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किय जाते हैं। जो महाविद्यालय के ईमेल msghscollege1932@gmail.com पर दिनांक– 08.03.2025 तक प्राप्त होना जाना चाहिए। साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी सचिव के पदनाम दिनांक–12.03.2025 तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा महाविद्यालय में अवश्य पहूँच जाना चाहिए। राजभवन सचिवालय के पत्रांक– एस0यू0–27/2019–151/रा0स0(1) दिनांक–16.01.2020 एवं विश्वविद्यालयीय पत्रांक– 2112/20 दिनांक–17.02.2020 के आलोक में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय आरक्षण रोस्टर क्लियरेन्स समिति द्वारा अनुमोदित है, जो विश्वविद्यालयीय पत्रांक–132/24 दिनांक– 30.01.2024 के द्वारा प्राप्त है। तदनुसार महाविद्यालय में नियुक्ति हेतु अनारक्षित एवं आरक्षित पदों की स्थिति निम्नवत है :–

<u>शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नियुक्ति हेतु विवरण :</u>

क्र0	पदनाम	वेतनमान	कोटि	अर्हता
1	निम्नवर्गीय लिपिक कुल–02 पद	पी0बी0 1 5200–20200 ग्रेड पे0–2400	सामान्य वर्ग 1 पद अ0पि0 वर्ग 1 पद	इण्टरमडिएट/समकक्ष कम्प्यूटर टंकन में प्रति मिनट हिन्दी में 24 शष्द और अंग्रेजी में 30 शब्द टंकण की योग्यता।
2	रात्रि प्रहरी 1 पद	पी0बी0–1S 4440–7440 ग्रेड पे0–1300	सामान्य वर्ग 1 पद	मैट्रिक या समकक्ष एवं साइकिल चलाने की योग्यता एवं शारीरिक स्वस्थ।
3	आदेशपाल 1 पद	पी0बी0–1S 4440–7440 ग्रेड पे0–1300	आरक्षित अ0पि0 वर्ग 1 पद।	मैट्रिक या समकक्ष एवं साइकिल चलाने की योग्यता एवं शारीरिक स्वस्थ।

2. उम्र सीमा–

शिक्षकेत्तर कर्मी हेतु विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष लेकिन 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष एवं सामान्य महिला एवं ओ0बी0सी0 / ई0बी0सी0 को तीन वर्षो की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार पटना की संकल्प संख्या–62 दिनांक– 05.11.2019 के आलोक मे दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग को 10 वर्षो की छूट अनुमान्य होगी।

3. आवेदन शुल्क :–

(क) लिपिक (LDC) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 2000/– आरक्षित वर्ग के लिए 1000/–

(ख) आदेशपाल/रात्रिप्रहरी अनारक्षित के लिए–1500, आरक्षित वर्ग हेतु 800/–

आवेदन शुल्क प्रधानाचार्य के नाम खाता संख्या–30157662112, IFSC Code SBIN0002729 भारतीय स्टेट बैंक बोधगया में निर्धारित तिथि तक जमा कर प्रधानाचार्य/सहायक प्राचार्य को अन्तर्वीक्षा के समय प्रपूरित मूल आवेदन पत्र की प्रति, बैंक रसीद की मूल प्रति, समस्त शैक्षणिक अभिलेखों की प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छायाचित्र दो प्रतियों में लाना अनिवार्य होगा। शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट, चेक आदि स्वीकार नही होगा।

4. लिपिक/रात्रिप्रहरी/आदेशपाल को लिखित परीक्षा के एक दिन पूर्व कार्यालय के समय 10:30 से 4:30 बजे अपराह्न तक प्रपूरित मूल आवेदन पत्र की छायाप्रति, बैंक रसीद की मूल प्रति एवं समस्त शैक्षणिक अभिलेख की मूल प्रति सत्यापन हेतु एवं स्व प्रमाणित छायाप्रति (दो प्रतियों में) साथ लाना अनिवार्य होगा। शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट चेक आदि स्वीकार नहीं होगा।

5. अन्तिम तिथि :–

(5.1) आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्ति की अंतिम तिथि–12.03.2025 ई0 को सायं 04 बजे होगी।

(5.2) अंतर्वीक्षा/ लिखित परीक्षा के लिए चयनित योग्य अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालयीय बेवसाई पर बाद में अपलोड किया जाएगा। इसी सूची को देखकर अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अतर्वीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार पृथक् तया नहीं किया जाएगा। अन्तर्वीक्षा के लिए यात्रा व्यय अभ्यर्थी द्वारास्वयं वहन किया जाएगा।

(5.3) आवेदन पत्र की स्केन की हुई कॉपी एवं आवेदन शुल्क जमा रसीद की स्केन की हुई कॉपी निर्धारित तिथि के अन्दर मेल आइडी पर प्रषित करना अनिवार्य होगा।

(5.4) विशेष परिस्थिति में किसी भी विषय की अन्तर्वीक्षा/ चयन/ नियुक्ति को आंशिक या पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार शासीनिकाय का होगा।

(6) आरक्षण :-

(6.1) विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा कोटिवार तैयार किए गए रोस्टर में विज्ञापन तिथि को राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन दृढतापूर्वक किया जाएगा। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के मेघा सूची के लिए अर्हित हैं तो उनकी नियुक्ति सामान्य कोटि में होगा।

(6.2) विश्वविद्यालय के पत्रांक– 2112/2020, दिनांक 17.02.2020 एवं राज्यपाल सचिवालय बिहार, राजभवन, पटना के पत्रांक– एस०यू०–27/2019-151 / रा०स०] (1), दिनांक 16.01.2020 के निर्देश के आलोक में महाविद्यालय द्वारा गठित महाविद्यालय आरक्षण रोस्टर निर्माण समिति के अनुशंसा पर महाविद्यालय के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के आरक्षण रोस्टर का निर्माण कर शार्मा निकाय से स्वीकृत होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा गठित "आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस समिति" द्वारा स्वीकृत, अनुशंसित एवं अनुमोदित किया गया है।

(6.3) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का अधिसूचना संख्या-11/आ० नी०– 1-03/2019- 2622, दिनांक– 26.02.2019 के अनुसूची–II आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर के अनुरूप होना चाहिए; किया गया है। .

(6.4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना, विहार सरकार के परिपत्र संख्या - 2803, दिनांक– 03.10.2006 के प्रावधान के तहत समान प्रकृति, वेतन सेवाशर्त, योग्यता, कैडर एद श्रृंखला आदि वाले लघु स्वीकृत बल वाले पदों का सामूहीकरण व एकल पद हेतु रिव्यू पीटीशन सिविल... 1749/1997 पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोसिएशन एवं अन्य में दिनांक– 17.04.1998 को पारित आदेश के आधार पर आरक्षण रोस्टर का निर्माण नियम परिनियम के अनुकूल होना चाहिए; किया गया है।

(6.5) आवेदन पत्र में नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सूविधा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में हो अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं कर सकेंगे।

(6.6) अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत रिक्त तथा आरक्षण रोस्टर के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। शैक्षणिक अर्हता एवं साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त अंक एक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें शैक्षणिक अर्हता में अधिक अंक प्राप्त हुआ हो उसे मेधा सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा। शैक्षणिक अर्हता का प्राप्ताक समान होने की स्थिति में जो उच्चतर पर रखा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी की जन्म तिथि समान होने पर अभ्यर्थी जिनका नाम देवनागरी लिपि में वर्णक्रम में पथम हो अन्तिम मेधा सूची में उसे उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।

7. वेतनमान :–

तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित एंव विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति किया जायगा।

8. **निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु संक्षिप्तकरण/चयन हेतु अंकों का विवरण :–**

8:A अकादमिक योग्यता हेतु निर्धारित कुल–30 अंक।

(A) **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :– 20 अंक**

(1) मैट्रिक–10 अंक (प्रथम श्रेणी–10, द्वितीय श्रेणी–8, तृतीय श्रेणी–6)

(2) इन्टरमिडिएट–10 अंक (प्रथम श्रेणी–10, द्वितीय श्रेणी–8, तृतीय श्रेणी–6)

(B) विशेष शैक्षणिक योग्यता :– 10 अंक

(1) स्नातक–5 अंक (प्रथम श्रेणी–5 अंक, द्वितीय श्रेणी–4 अंक)

(2) स्नातकोत्तर– 5 अंक (प्रथम श्रेणी–5 अंक, द्वितीय श्रेणी–4 अंक)

8:B कार्य अनुभव :– निर्धारित–10 अंक

प्रतिवर्ष– 2 अंक, अधिकतम–5 वर्ष या उससे अधिक होने पर भी–10 अंक।

8:C लिखित परीक्षा :–100 अंक।

पाठ्यक्रम :– सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित 100 अंकों का Objective (वस्तुनिष्ठ) प्रश्न का लिखित परीक्षा ली जायेगी। जिसके लिए 2 घण्टों का समय निर्धारित है।

8:D कम्प्यूटर टंकण टेस्ट कुल–30 अंक :–

(1) कम्प्यूटर टंकण हिन्दी – 15 अंक (प्रतिमिनट–25 शब्द)

(2) कम्प्यूटर टंकण अंग्रेजी–15 अंक (प्रतिमिनट–30 शब्द)

8:E साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा कुल–30 अंक।

अन्तर्वीक्षा समिति द्वारा–30 अंक का मौखिकी परीक्षा ली जायगी।

8:E **मेधासूची** :– शैक्षणिक योग्यता–30, कार्य अनुभव–10 लिखित परीक्षा– 100, कम्प्यूटर टंकण–30 एवं मौखिकी परीक्षा 30 अंक मिलाकर कुल–200 अंको के योग के आधार पर मेधा सूची निर्मीत की जायेगी।

9. **रात्री प्रहरी एवं आदेशपाल के पद पर नियुक्ति हेतु संक्षिप्तीकरण / चयन हेतु अंकों का विवरण।**

(9.1)अकादमिक योग्यता हेतु निर्धारित कुल–20 अंक।

(I) **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–** कुल 10 अंक।

(1) मैट्रिक– 10 अंक (प्रत्थम श्रेणी–10 द्वितीय श्रेणी–8 तृतीय श्रेणी–6)

(ठ) **विशेष शैक्षणिक योग्यता :–** कुल–10 अंक।

(1) इण्टरमिडिएट–5 अंक (प्रथम श्रेणी–5, द्वितीय श्रेणी–4, तृतीय श्रेणी–3)

(2) स्नातक–5 अंक (प्रथम श्रेणी–5, द्वितीय श्रेणी–4

(9.2) **परीक्षा :–** कुल 60 अंक–सामान्य ज्ञान एयवं सामान्य विज्ञान से 60 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Questions) का लिखित परीक्षा ली जायेगी। जिसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है।

(9.3) **साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा हेतु निर्धारित कुल–20 अंकः–** चयन समिति/ अन्तर्वीक्षा समिति द्वारा–20 अंकों की मौखिकी परीक्षा ली लायेगी।

(9.4)शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए कुल निर्धारित–100 अंकों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर वरीयता सूची/मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(10) चयन प्रक्रिया एवं मेधा सूची :-

(10.1) चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी के पद पर चयन के लिए चयन समिति द्वारा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा।

(10.2) मेघा सूची शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अर्थात कुल अंक में प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी।

(10.3) मेधा सूची वरीयता के आधार पर कोटिवार शिर्षथ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रत्यक पद हेतु तीन अभ्यर्थियों के नामों का अधिमान क्रम में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी।

(10.4) शैक्षणिक अर्हता परीक्षा एवं साक्षात्कार को मिलाकर कुल प्राप्तांक सामान्य होने की स्थिति में वैसे उम्मीदवार, जिनकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा होगी, उन्हें अंतिम मेघा सूची में रखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता भी एक समान होने की स्थिति में जन्मतिथि के अनुसार जेयष्ठ उम्मीदवार अंतिम मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। जन्म तिथि भी एक समान होने की स्थिति में देवनागरी लिपि के अनुसार जिस उम्मीदवार का नाम वर्णानुक्रम में पहले आएगा, उसे अंतिम मेधा सूची में रखा जाएगा।

10.5) माक्षात्कार की प्रक्रिया का निर्णय **चयन** समिति द्वारा लिया जाएगा। चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेघा सूची निर्गम की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

11 . नियुक्तिः-

(11.1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन शासी निकाय को स्वीकृत पद के अंतर्गत निर्धारित वेतनमान एवं ग्रेड पे में चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की शक्ति होगी ।

(11.2) चयन समिति की अनुशंसा को शासी निकाय की अनुमति के लिए सामान्यतः अगली बैठक में रखा जाएगा।

12 . पद ग्रहण की तिथि :-

(12.1) नियुक्ति पत्र में अभ्यर्थी के पदग्रहण करने की अवधि स्पष्ट रूप में वर्णित होगा।

(12.2) अभ्यार्थी के अनुरोध पर योगदान करने की तिथि को अधिकतम 6 माह के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(12.3) यदि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व पद ग्रहण करने में असफल रहता तो उसका नियुक्ति पत्र रद्द समझा जाएगा।

13. निर्देश :–

13.1 निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरें।

(13.2) आवेदन महाविद्यालय बेवसाइट पर निर्धारित प्रपत्र में A/4 साइज कागज पर मुद्रित अथवा टंकित कराकर अपनी लिखावट में भरें। जो लागू न हो उसके सामने (X) का निशान लगावें।

(13.3) निर्धारित प्रपत्र से अलग और हस्तलिखित प्रपत्र में पूरित आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।

(13.4) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहें तो वे प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।

S/D

सचिव